रा०

2

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: जविप्रा / निस / सचिव / 2001 / डी– 211

दिनांक: 1.11.2001

अधिसूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम संख्या 25) की धारा 96 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 10 के प्रयोजनार्थ जयपुर विकास प्राधिकरण एतद् द्वारा निम्नांकित विनियम बनाता है:–

जयपुर विकास प्राधिकरण (समितियों के गठन एवं कर्तव्य निर्धारण) विनियम, 2001

1– संक्षिप्त नाम तथा प्रभाव

1.1 यह विनियम, जयपुर विकास प्राधिकरण (समितियों के गठन एवं कर्तव्य निर्धारण) विनियम 2001 कहलायेंगे

1.2 यह विनियम, राज पत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

1.3 यह विनियम, प्राधिकरण के सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र के लिए लागू होंगे।

2– परिभाषाएं – इन विनियमों में जब तक विषय अथवा सन्दर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो :–

2.1 अधिनियम से अभिप्राय : जयपुर विकास प्राधिकरण, 1982 (1982 के अधिनियम संख्या 25) से है।

2.2 विनियम एवं नियमों से अभिप्रायः अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये अथवा समय–समय पर बनाये और प्रभावशील होने वाले विनियमों, नियमों से है जब तक कि किसी दूसरे अधिनियमों के अन्तर्गत निर्मित ऐसे विनियमों, नियमों का स्पष्ट उल्लेख नहीं हो।

2.3 धारा से अभिप्राय : अधिनियम की धाराओं से है जब तक कि धारा के साथ किसी अन्य अधिनियम का उल्लेख न हो।

2.4 समिति अथवा समितियों से अभिप्रायः उन समस्त समितियों से है जो धारा 10 के अन्तर्गत प्राधिकरण या इसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत गठित की जाए।

2.5 प्राधिकरण के सदस्यों से अभिप्राय : धारा 4 में उल्लेखित सरकारी एवं इस धारा के क्लाज (xiii) में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत गैर–सरकारी सदस्यों से है।

2.6 समिति के अध्यक्ष / सदस्यों से अभिप्रायः इन विनियमों के अन्तर्गत गठित समितियों के लिए बनाये गये अध्यक्ष / सदस्यों से है।

2.7 जब तक राज्य सरकार अथवा विधि अनुरूप अन्यथा निर्धारित न किया जाय, उपरोक्तानुसार परिभाषित के अतिरिक्त अधिनियम की धारा 2 में की गई व्याख्या अन्य शब्दावली इन विनियमों के प्रयोजनार्थ विधि संगत मानी जायेगी।

3. गठित की जाने वाली समितियां

अधिनियम की धारा 10 व अधिनियम के तत्सम्बन्धित प्रावधानों के अन्तर्गत प्राधिकरण अथवा प्राधिकरण की ओर से अधिकृत पदाधिकारी द्वारा निम्न प्रकार समितियां गठित की जा सकेंगी:–

1. भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति
2. भवन मानचित्र समिति प्रथम
3. भवन मानचित्र समिति द्वितीय
4. प्रोजेक्ट समिति
5. अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं भू उपयोग परिवर्तन समिति
6. अन्य वे समितियॉं, जो प्राधिकरण या इसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत समय समय पर और गठित की जाए।

4. [redacted]

विनियम 3 में उल्लेखित बिन्दू संख्या 1 से 5 तक की समितियों के कर्तव्य / कार्यकलाप निम्न प्रकार होंगे:–

4.1 भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति

(1) समस्त पब्लिक व चेरटीबल, पंजीकृत संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं व मूलभूत आधार के विभिन्न प्रयोजन के प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि आवंटन की कार्यवाही करना।

(2) भवन मानचित्र समितियों के अधिकार क्षेत्र के बाहर के सभी प्रकार के भूखण्डों के उप विभाजन की कार्यवाही पर विचार कर निर्णय लेना।

(3) संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के मामलों में भू–आवंटन सम्बन्धी समस्त कार्यवाही कर निर्णय लेना।

(4) स्ट्रीप ऑफ लेण्ड के मामलों का निस्तारण [redacted]

(5) भूमि सहित सम्पतित के निपटारे से सम्बन्धित प्रकरणों का निस्तारण करना।

(6) प्राधिकरण की किसी योजना के लिए समझौता वार्ता से भूमि अवाप्त करने समबन्धी प्रकरणों पर विचार कर निर्णय लेना।

(7) भूमि/भूखण्डों के हस्तानान्तरण के प्रकरणों पर निर्णय लेना।

स्पष्टीकरण :– भूमि के निष्पादन और आवंटन के समबन्ध में।

(1) Rajasthan Improvement Trust (Disposal of Urban Land) Rules, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

(2) यह समिति उनके सामने प्रस्तुत होने वाले प्रार्थना–पत्रों की स्किनिंग करवाने के लिए आवश्यकतानुसार उप समिति बना सकेगी।

भवन मानचित्र समिति प्रथम

(1) 500 वर्गमीटर तक के भूखण्डो के संस्थागत व वाणिज्यिक निर्माण की स्वीकृतियों के मामलों पर विचार कर अंतिम निर्णय लेना।
(2) 500 वर्गमीटर तक के उन आवासीय निर्माणों के निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप हो रहे कार्यो का विनियमों के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करना तथा इसी सीमा तक संस्थागत व वाणिज्यिक स्वीकृतियों के अनुसार भवन निर्माण कार्यो का परीक्षण कर तत्सम्बन्धित कार्यवाही करना/ करवाना।
(3) बिन्दु संख्या 1 व 2 के मामलों में विनियमों, नियमों, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आज्ञेय (Permisable) सीमा तक समझौते की कार्यवाही करना।
(4) 1000 वर्गमीटर तक के आवास भूखण्डों के उप विभाजन की कार्यवाही।

4.3 भवन मानचित्र समिति द्वितीय

भवन निर्माण समिति प्रथम के अधिकार क्षेत्र के अलावा बाकी समस्त मामलों में यह समिति मानचित्र अनुमोदन तथा मानचित्रों के नियबद्धीकरण के समस्त कार्यो का निष्पादन करेगी। इसी प्रकार मानचित्र सिमति प्रथम के कर्तव्यों के लिए निर्धारित बिन्दु संख्या 3 की सीमा से अधिक क्षेत्रफल के लिए आज्ञेय (Permisable) सीमा तक समझौते की कार्यवाही भी कर सकेगी।

4.4 प्रोजेक्ट समिति

(1) प्रोजेक्ट के चिन्हीकरण की कार्यवाही
(2) प्रोजेक्ट के प्रारम्भिक कन्सेप्ट के अनुमोदन की कार्यवाही।
(3) विस्तृत रूप से प्रोजेक्ट अनुमोदन करने की कार्यवाही।
(4) प्रोजेक्ट के कियान्वयन की समीक्षा।
(5) गृह निर्माण सहकारी समितियों व खातेदार जो अपनी भूमि पर स्वयं विकास करना चाहते है, की योजनाओं के ले आऊट प्लान अनुमोदित करने की कार्यवाही। निर्माण कार्यों कियान्वयन में हुए विलम्ब के प्रति शास्ती आरोपण सहित नियमितीकरण करना या उसे निरस्त करना।
(6)पूर्व में जारी प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृतियों के परिप्रेक्ष्य में करवाये गये/करवाये जाने वाले निर्माण कार्यो के नियमितीकरण/वित्तीय अनुमोदन सम्बन्धित कार्य करना।

स्पष्टीकरण :– यहां प्रोजेक्ट से तात्पर्य आवासीय योजनाएं, व्यावसायिक काम्पलेक्स योजनाएं, फ्लाईओवर्स, रोडअन्डर ब्रिज, सबवैज, औद्योगिक विकास, सड़कों नालियों व कासिंग सहित विकास के अन्य मामले शामिल हैं जिनका यह समिति निस्तारण करेगी।

4.5 अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं भू उपयोग परिवर्तन समिति

अधिनियम व तत्सम्बन्धित नियमों/विनियमों के अन्तर्गत वांछित अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं भू उपयोग परिवर्तन के लिए धारा 25 व अन्य तत्सम्बन्धित प्रावधानों के सन्दर्भ में निर्धारित

क्षेत्रफल की सीमा तक के समस्त प्रकार के प्रकरणों पर यह समिति विचार-विमर्श कर सकारण निर्णय ले सकेगी।

अधिकार :- विनियम संख्या 3 में उल्लेखित विभिन्न समितियां उनके लिए निर्धारित कर्तव्यों के निर्वहन के निमित्त अधिनियम व उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों/विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप प्राधिकरण की उन शक्तियों का उपयोग कर सकेगी जो Specific रूप से अधिनियम व अन्य वैधिक प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य समिति या पदेन अधिकारी के नाम से उल्लेखित की हुई नहीं हों।

स्पष्टीकरण :- विनियम 4 में उल्लेखित समितियों के उद्देश्य फंक्शन और अधिकारों के समय समय पर अभिवृद्धि या कमी प्राधिकरण अथवा प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त/अधिकृत अधिकारों के अन्तर्गत की जा सकेगी।

5. समितियों में बाहरी व्यक्तियों का अनुपात

समिति में जितने सदस्य धारा 4 में प्राविधित प्राधिकरण के सदस्य शामिल किये जाएंगे उनके अनुपात में धारा 10(1) में प्राधिकरण के अन्य पदेन अधिकारी व बाहर के व्यक्ति आधे से अधिक नहीं होंगे जिन्हें प्राधिकरण की ओर से अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जावेगा। ऐसे मनोनीत सदस्यों को प्राधिकरण के अध्यक्ष समय समय पर बदल सकेंगे।

6. समितियों के अध्यक्ष

समितियों के अध्यक्ष धारा 4 में उल्लेखित प्राधिकरण के सदस्यों में से बनाये जायेंगे। प्राधिकरण के अध्यक्ष समिति के अध्यक्षों व सदस्यों को समय समय पर बदल सकेंगे।

7. समिति की बैठकें और गणपूर्ति

सभी समितियों की बैठकें माह में कम से कम दो बार आयोजित की जायेगी। समितियों का कोरम आधे सदस्यों का माना जाऐगा। किसी प्रस्ताव पर बराबर मतों की अवस्था में अध्यक्ष को कास्टिंग वोट देने का अधिकार होगा।

8. समितियों के सचिव के कर्तव्यों का निर्वहन

इन विनियमों के अन्तर्गत गठित समितियों के लिए सचिव के कर्तव्यों का निर्वहन प्राधिकरण के सचिव धारा 8(3) के अनुसरण में करेंगे, किन्तु सुगम कार्यसंचालन और सुचारू व्यवस्था की दृष्टि से प्राधिकरण के सचिव अपने अधीन किन्हीं अन्य अधिकारीयों को इन समितियों के सचिव के कर्तव्य निर्वहन हेतु अपनी ओर से अधिकृत कर सकेंगे।

समिति के सचिव बैठक समाप्ति के तीन दिन के अन्दर प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को कार्यवाही विवरण की प्रतिलिपि अवलोनार्थ प्रेषित करेंगे। धारा 4(3) में उल्लेखित प्रतिबन्धों के अध्यधीन रहते हुए प्राधिकरण के अध्यक्ष किसी समिति के निर्णय को बदल सकेंगे और किसी विषय विशेष पर विचार करने के लिए समितियों को निर्दिष्ट कर सकेंगे।

9. समिति के लिए एजेन्डा

समिति में विचारार्थ प्रस्तुत होने वाले विषयों / प्रकरणों का एजेन्डा आयोजित बैठक से कम से कम तीन दिन पूर्व जारी किया जायेगा। किन्तु एजेन्डे के अतिरिक्त मामलों पर अध्यक्ष व सदस्यों की सहमति से बैठक में विचार किया जा सकेगा। समिति का एजेन्डा समिति के सचिव द्वारा समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन पश्चात जारी किया जाएगा एवं बैठक की कार्यवाही के आलेख का अनुमोदन अध्यक्ष द्वारा करने के पश्चात मिनिट्स जारी की जायेगी।

10. समिति की बैठकों का आयोजन व स्थान निरीक्षण

सामान्यतया समितियों की बैठकें प्राधिकरण के मुख्यालय पर आयोजित की जायेगी किन्तु अध्यक्ष की सहमति से जयपुर शहर में आवश्यकता के अनुरूप दुसरे स्थान पर भी आयोजित की जा सकती है। समिति यदि किसी स्थल का निरीक्षण करना चाहेगी तो प्राधिकरण के सचिव तत्सम्बन्धि व्यवस्था करवायेंगे।

11. समितियों के विनिश्चयों की अनुपालना

समितियों के निर्णयों की पालना निर्णय के 15 दिन के अन्दर सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व समिति के सचिव का होगा। जहां जिस स्तर पर आदेश के क्रियान्वयन की कार्यवाही करवानी हो वहां पत्रावली प्रेषित कर शीघ्र पालना करवाई जायेगी। कार्यवाही सचिव द्वारा नहीं करवाने की अवस्था में समिति के अध्यक्ष बिना विलम्ब किये प्राधिकरण के अध्यक्ष की जानकारी में तथ्यों को लाऐंगे और प्राधिकरण के अध्यक्ष निर्णय की अनुपालना न होने की स्थिति में उचित व अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए निर्देश प्रदान करेंगे।

12. समिति के सदस्यों के लिए बैठक का भत्ता

समिति के केवल उन सदस्यों को जो पदेन सरकारी अधिकारी नहीं है, प्रत्येक बैठक के भत्ते के रूप में 100 रूपये प्राधिकरण के कोष से देय होंगे।

(अतुल शर्मा)
सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।